राजस्थान आवासन मण्डल

–: आवश्यक सूचना :–

राजस्थान आवासन मण्डल की प्रताप नगर आवासीय योजना सांगानेर, जयपुर में स्ववित्त पोषित योजना के अन्तर्गत सेक्टर 29 प्रताप अपार्टमेन्ट के उच्च आय वर्ग (एस+10) एवं मध्यम आय वर्ग 'ब' (एस+10), सेक्टर 08 के मध्यम आय वर्ग 'ब' (बी+एस+10), सेक्टर 28 के मध्यम आय वर्ग 'अ' (जी+3) व मध्यम आय वर्ग 'ब' (जी+3), सेक्टर 18 के मध्यम आय वर्ग 'अ' (एस+11), सेक्टर 7 के अवशिष्ट मध्यम आय वर्ग 'अ' (डूप्लेक्स), सेक्टर 17 के अवशिष्ट मध्यम आय वर्ग 'अ' (एस+9), सेक्टर 11 के अवशिष्ट मध्यम आय वर्ग 'अ' (बी+एस+10), सेक्टर 26 के अवशिष्ट उच्च आय वर्ग (एस+10) तथा पंजीकरण योजना के अन्तर्गत सतलज अपार्टमेण्ट सेक्टर 28 के अल्प आय वर्ग (जी+3), सेक्टर 29 के उच्च आय वर्ग (एस+10), द्वारकापुरी योजना के अल्प आय वर्ग (जी+7), सेक्टर 29 के अफोर्डेबल योजना के विभिन्न आय वर्ग के आवास (जी+3), मण्डल कर्मचारी के उच्च आय वर्ग, न्यायिक वाद प्रकरण, महला आवासीय योजना जयपुर के अल्प आय वर्ग (जी+3) के आवास/ फ्लैटस आवंटन हेतु एवं स्ववित्त पोषित योजना के अन्तर्गत सेक्टर 18 के मध्यम आय वर्ग 'अ' (एस+11) के आवेदकों की वरीयता निर्धारण लॉटरी दिनांक 19.08.2015 को प्रातः 11:00 बजे उप आवासन आयुक्त वृत प्रथम सेक्टर 5, प्रताप नगर, सांगानेर, जयपुर के कार्यालय में **"वेब बेस्ड प्रणाली"** के आधार पर ऑनलाईन आयोजित किया जाना प्रस्तावित है। उक्त लॉटरी का प्रस्तावित कार्यक्रम निम्नानुसार है:–

क्र.सं.	कार्यक्रम का विवरण	दिनांक	सम्बन्धित कार्यालय
1	लॉटरी हेतु योग्य/अयोग्य आवेदकों की अस्थाई सूची का प्रकाशन	05.08.2015 (सांयः 5:00 बजे)	कार्यालय उप आवासन आयुक्त, वृत–प्रथम, सेक्टर–5, प्रताप नगर, सांगानेर, जयपुर के नोटिस बोर्ड एवं मण्डल की वेबसाईट पर
2	आक्षेप प्रस्तुत करने की अन्तिम तिथि	10.08.2015 (सांयः 6:00 बजे तक)	कार्यालय उप आवासन आयुक्त, वृत–प्रथम, सेक्टर–5, प्रताप नगर, सांगानेर, जयपुर
3	योग्य आवेदकों की स्थाई सूची का प्रकाशन	17.08.2015 (सांयः 5:00 बजे)	कार्यालय उप आवासन आयुक्त, वृत–प्रथम, सेक्टर–5, प्रताप नगर, सांगानेर, जयपुर के नोटिस बोर्ड एवं मण्डल की वेबसाईट पर
4	आवास/फ्लेट्स आवंटन एवं वरीयता निर्धारण लॉटरी	19.08.2015 (प्रातः 11:00 बजे से)	कार्यालय उप आवासन आयुक्त, वृत–प्रथम, सेक्टर–5, प्रताप नगर, सांगानेर, जयपुर

नोटः–(1) यदि आवेदक द्वारा पूर्वग्रहण राशि की देय किश्त जमा करवा दी गई है तो जमा राशि के चालान की छांयाप्रति आक्षेप प्राप्त करने की अन्तिम तिथि तक वृत कार्यालय में प्रस्तुत करने पर लॉटरी में सम्मिलित कर लिया जावेगा।

(2) स्ववित्त पोषित योजना के अन्तर्गत पंजीकृत आवेदकों को जारी आरक्षण पत्र अनुसार लॉटरी की दिनांक तक देय समस्त किश्ते जमा कराने वाले आवेदको को ही लाटरी में सम्मिलित किया जावेगा। यदि आवेदक द्वारा देय किश्त जमा करवा दी गई है तो जमा राशि के चालान की छायांप्रति आक्षेप प्राप्त करने की अन्तिम तिथि तक वृत्त कार्यालय में प्रस्तुत करने पर लॉटरी में सम्मिलित कर लिया जावेगा।

(3) यदि कोई आवेदक वांछित सूचना कार्यालय में नहीं देने के कारण प्रस्तावित लॉटरी से वंचित रहता है तो इसके लिए वह स्वयं उत्तरदायी होगा।

(4) लॉटरी कार्यक्रम की अवधि में भुगतान पद्धति परिवर्तन के आवेदन स्वीकार नहीं किए जाऐंगे।

(5) आवास/फ्लेट्स आवंटन एवं वरीयता निर्धारण लॉटरी हेतु योग्य/अयोग्य आवेदकों की सम्पूर्ण सूची मण्डल की वेबसाईट www.rhbonline.rajasthan.gov.in पर तथा अयोग्य आवेदकों की अस्थाई/ स्थाई सूची निर्धारित कार्यक्रमानुसार वृत प्रथम कार्यालय के नोटिस बोर्ड पर उपलब्ध रहेगी।

उप आवासन आयुक्त वृत–प्रथम
राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।

राज.संवाद/सी/15/1898

राजस्थान पत्रिका - 15.07.2015